संख्या–4491/नौ–5–2011–411सा/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2011

विषयः मथुरा स्थित गोकुल बैराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित 11 राजस्व ग्रामों की 311.104 हेक्टेयर भूमि के अर्जन के फलस्वरूप देय प्रतिकर आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मथुरा के पत्र संख्या–4933/वि.मू.अ.अ.सं.सं./मथुरा–2011/ दिनांक 09.08.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत मथुरा स्थित गोकुल बैराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित राजस्व ग्रामों के भूमि के अर्जन के फलस्वरूप देय प्रतिकर आदि हेतु आपके निवर्तन पर आयोजनागत मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 10.00 (₹ दस करोड़ मात्र) श्रीराज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त धनराशि जिलाधिकारी, मथुरा के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर, अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के सर्वे तथा अन्य समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए, व्यय की जायेगी।

(2) व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यो की वित्तीय व भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।

(4) उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31.03.2012 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(5) विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्ते निर्धारित की गयीं थीं, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक

लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्व विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3. उक्त धनराशि अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–06–गोकुल बैराज के डूब क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के प्रतिकर का भुगतान–00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या–2521/ई–8/दस–2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**सूर्य प्रकाश मिश्र**)
विशेष सचिव।

संख्या–4491(1)/नौ–5–2011,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, मथुरा।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मण्डलायुक्त, आगरा।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. एन.आई.सी. नवॉ तल, बापू भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**सूर्य प्रकोश मिश्र**)
विशेष सचिव।

G-O- Chauhan